

अंतिम डिक्री बमुकदमे इव्तदाई

(ऑर्डर 20, कल 6-7, जज्जा दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज्ज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकदमा श्रीकरणपुर
व इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

श्री गुरुद्वारा साहिब चक 18 एफ एफ बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जॉरिए
तहसीलदार श्रीकरणपुर

घारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं. 12/2018

निर्णय दिनांक :- 15.03.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनाफिसाल कतई स्वस उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर व हाजरी वारी अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड पेश होने पर आदेश दिया जाता है व
डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वारी अंतर्गत घारा 88 राजस्थान कायतकारी अधिनियम 1955,
136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति सावित होने से स्वीकार किया जाकर चक 18 एफ एफ
की जमाबन्दी सम्मत 2072 ता 75 के खाता संख्या 124/139 के मुख्वा नम्बर 37 की कुल
1.213 हेक्टेयर नहरी भूमि में अंकित नाम कृपाल सिंह बन्द चनन सिंह ग्रन्थी सा. देह पु. अलाटी
पर खातेदार के स्थान पर माफी गुरुद्वारा पुख्वा अलाटी गैर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिए
जते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदनुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन
किया जाये।

आज दिनांक 15.03.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की
मुद्रा से जारी की गई।

[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)]

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प इयूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00

[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)]

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीकरणपुर

दिनांक: 15.03.2022

क्रमांक: रीडर/ 2022/133

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार
पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)]

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीकरणपुर